

विनियम ३० - भौतिक घटनाओं के उचित प्रकटीकरण के लिए भौतिकता के निर्धारण के लिए नीति/ स्टॉक एक्सचेंज को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी

सेबी के विनियम ३० के अनुसार (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, २०१५ (सूचीकरण विनियम), कंपनी के निदेशक मंडल ने अक्टूबर २७, २०१५, उचित प्रकटीकरण के लिए भौतिकता के निर्धारण के लिए नीति को अनुमोदित और अपनाया गया स्टॉक एक्सचेंज (ओं) और अभिलेखीय के लिए सामग्री घटनाओं / अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की नीति जो ०१ दिसंबर, २०१५ से प्रभावी होगी।

निदेशक मंडल ने पूर्णकालिक निदेशकों को संयुक्त रूप से (कोई दो) अधिकृत किया है और केएमपी (सीईओ, सीएफओ और सीएस) प्रमुख समूह संचार और निवेशक के परामर्श से बनाने के उद्देश्य से किसी घटना / सूचना की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रकटीकरण।

इसके अलावा, जैसा कि विनियम ३०(५) के तहत आवश्यक है, कंपनी से निम्न प्रकार से संपर्क किया जा सकता है: पूर्वोक्त मामलों पर स्पष्टीकरण/सूचना:

१. कार्यकारी उपाध्यक्ष
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
३. पूर्णकालिक निदेशक
४. मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
५. कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी (सीएस)

ईमेल आईडी:

१. comp.sect@vedanta.co.in
२. vedantald.ier@vedanta.co.in
३. gc@vedanta.co.in

संपर्क नंबर: +९१ २२ ६६४३ ४५०० (मुंबई)

वेदांता लिमिटेड के लिए

प्रेरणा हलवासिया

द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

प्रेरणा हलवासिया

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एसीएस २०८५६

VEDANTA LIMITED

REGISTERED OFFICE: Vedanta Limited, 1st Floor, 'C' wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India | T +91 22 6643 4500 | F +91 22 6643 4530

CIN: L13209MH1965PLC291394